

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2258

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जन-स्वास्थ्य पर प्रभाव

2258. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत देश भर में स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों) की कुल संख्या कितनी है और इनमें से महाराष्ट्र राज्य में स्थापित केंद्रों की संख्या क्या है;
- (ख) देश में इन केंद्रों की स्थापना के बाद से इनसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने जन-स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के संबंध में इन केंद्रों के प्रभाव का कोई औपचारिक मूल्यांकन किया है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और विशेष रूप से रोगी संतुष्टि, रोग निवारण और एलोपैथिक सुविधाओं पर उपचार के बोझ में कमी के संदर्भ में ऐसे मूल्यांकनों से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और
- (ङ) क्या इन निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों जैसे अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रों में, बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों और सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की 12500 इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम (आयुष)) [एएएम (आयुष)] के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र सहित अनुमोदित और कार्यात्मक एएएम (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति संलग्नक-। में दी गई है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या, जिन्होंने वर्ष 2021 से जून, 2025 तक इन एएएम (आयुष) के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाया है, की सूचना संलग्नक-॥ में दी गई है।

(ग) से (ङ): जी हाँ। स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [एएएम (आयुष)] द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न गतिविधियों/सेवाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, केंद्रीय टीम के दौरे के अलावा तीसरे पक्ष की समीक्षा और एनएबीएच मूल्यांकन भी किया जाता है। इन मंदिरों को आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था, जो मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पद्धति के साथ

एकीकरण स्थापित करके निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि टीम आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए आयुष सेवाएं उपलब्ध कराकर जरूरतमंद लोगों को सूचित विकल्प प्रदान किया जा सके।

दौरा करने वाली टीमों ने पाया है कि आयुष औषधालयों/उप स्वास्थ्य केंद्रों को एएम (आयुष) में अपग्रेड करने के बाद एएम (आयुष) में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि ओपीडी सेवाओं के अलावा, इन सुविधाओं के माध्यम से प्रकृति परीक्षण, फेसिलिटी के स्तर पर और साथ ही समुदाय में योग से संबंधित गतिविधियों, सामान्य औषधीय पौधों के उपयोग के बारे में जागरूकता आदि जैसी कई अन्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, दौरा करने वाली टीम ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आयुष टीम के उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रेफरल लिंकेजों को मजबूत करने, फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं विशेष रूप से आशा आदि की प्रभावी भागीदारी के लिए सुझाव दिया है ताकि एएम (आयुष) के माध्यम से आयोजित की जा रही गतिविधियों के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

आयुष मंत्रालय और एनएबीएच ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहचानी गई कमियों को समय पर और प्रभावी ढंग से दूर किया जाए, गैर-अनुपालन को समाप्त करने में मदद की जाए और देश भर में विशेष रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्टाफ उपलब्ध कराना और सेवा की गुणवत्ता में उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

अनुमोदित और कार्यात्मक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) (आयुष) और उनके लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

| क्र. सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | अनुमोदित एएएम (आयुष) | कार्यात्मक एएएम (आयुष) |
|----------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 6 | 6 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 126 | 126 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 89 | 89 |
| 4 | असम | 500 | 500 |
| 5 | बिहार | 294 | 294 |
| 6 | चंडीगढ़ | 12 | 12 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 400 | 400 |
| 8 | दिल्ली | 0 | 0 |
| 9 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव | 1 | 1 |
| 10 | गोवा | 100 | 100 |
| 11 | गुजरात | 365 | 365 |
| 12 | हरियाणा | 538 | 538 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 740 | 740 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 523 | 523 |
| 15 | झारखण्ड | 745 | 745 |
| 16 | कर्नाटक | 376 | 376 |
| 17 | केरल | 700 | 700 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 7 | 7 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 800 | 800 |
| 21 | महाराष्ट्र | 390 | 390 |
| 22 | मणिपुर | 15 | 15 |
| 23 | मेघालय | 45 | 45 |
| 24 | मिजोरम | 41 | 41 |
| 25 | नागालैंड | 49 | 49 |
| 26 | ओडिशा | 422 | 422 |
| 27 | पुतुचेरी | 4 | 4 |
| 28 | पंजाब | 158 | 158 |
| 29 | राजस्थान | 2019 | 2019 |
| 30 | सिक्किम | 18 | 18 |
| 31 | तमिलनाडु | 650 | 650 |
| 32 | तेलंगाना | 421 | 421 |
| 33 | त्रिपुरा | 72 | 72 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1034 | 1034 |
| 35 | उत्तराखण्ड | 300 | 300 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 540 | 540 |
| कुल | | 12500 | 12500 |

वर्ष 2021 से जून, 2025 तक एएम (आयुष) के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वर्ष | | | | |
|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0 | 11090 | 7982 | 9181 | 5175 |
| 2. | लक्षद्वीप | 8726 | 38515 | 55723 | 42215 | 26499 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1401 | 25278 | 55348 | 71249 | 38844 |
| 4. | असम | 0 | 28092 | 313319 | 3343870 | 4567583 |
| 5. | मणिपुर | 737 | 946 | 5301 | 13853 | 10124 |
| 6. | मेघालय | 0 | 0 | 37950 | 52198 | 41438 |
| 7. | मिजोरम | 10,060 | 34195 | 94639 | 126325 | 68789 |
| 8. | नागालैंड | 1498 | 21480 | 38444 | 40948 | 22284 |
| 9. | सिक्किम | 20778 | 35094 | 44061 | 47806 | 25956 |
| 10 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 55385 | 103439 | 69971 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 588655 | 736738 | 2331404 | 2342366 | 1219867 |
| 12 | जम्मू-कश्मीर | 0 | 2685966 | 3018269 | 2412595 | 1169618 |
| 13 | उत्तराखण्ड | 163669 | 445740 | 1706811 | 1352831 | 583285 |
| 14 | बिहार | 103269 | 194960 | 231661 | 291037 | 275310 |
| 15. | छत्तीसगढ़ | 140285 | 1281136 | 2356871 | 2346115 | 1219071 |
| 16. | झारखण्ड | 123705 | 187363 | 1487747 | 2691204 | 1419017 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 1274788 | 1601107 | 2590895 | 4611884 | 2733736 |
| 18. | ओडिशा | 901085 | 6820072 | 1732981 | 2595883 | 1417937 |
| 19. | राजस्थान | 1775405 | 8396431 | 17740280 | 39066293 | 22482711 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 3759536 | 13245767 | 16445963 | 12427257 | 5983627 |
| 21. | आंध्र प्रदेश | 0 | 404115 | 703804 | 713523 | 347226 |
| 22 | गोवा | 19180 | 53324 | 254962 | 366284 | 191491 |
| 23 | गुजरात | 951290 | 1578001 | 6333646 | 5807405 | 820295 |
| 24 | हरियाणा | 2322803 | 2514230 | 2658480 | 2473949 | 2159897 |
| 25 | कर्नाटक | 606296 | 763257 | 1660552 | 1896859 | 923657 |
| 26. | केरल | 1525596 | 5829043 | 6672089 | 8344225 | 2889991 |
| 27 | महाराष्ट्र | 726140 | 764615 | 1073779 | 1517652 | 890795 |
| 28 | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 767453 | 405948 |
| 29 | तमिलनाडु | 30555959 | 25456637 | 11287166 | 13826356 | 6920322 |
| 30 | तेलंगाना | 3833738 | 2358802 | 2913265 | 2061093 | 888875 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 1164213 | 8431205 | 4816907 | 3677126 | 1856600 |
| 32 | चंडीगढ़ | 142899 | 200235 | 127474 | 120426 | 51423 |
| 33 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव | 0 | 0 | 2670 | 26912 | 13280 |
| 34 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुचेरी | 35557 | 57237 | 58978 | 62705 | 18190 |
| कुल | | 15004638 | 84200671 | 88914806 | 115650517 | 61758832 |